वर्तमान समय में उदारीकरण का औद्योगिक नीति पर प्रभाव

डॉ. केशव देव सुनेरिया

(सहायक प्राध्यापक) अर्थशास्त्र विभाग

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

निवाड़ी (म.प्र.)

शोध सार

नीति की संभवत सबसे प्रमुख विशेषता निजी क्षेत्र के विनियमन और नियंत्रण में ढील देने से सम्बन्धिन है। पुरानी नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के कार्य संचालन पर अनेक एवं कड़े प्रतिबन्ध लगे हुए थे। इन्हें अब बहुत–कुछ हटा लिया गया है या ढीला कर दिया गया है, ताकि निवेश, उत्पादन, बिक्री आदि के सिलसिले में निजी क्षेत्र अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। निजी क्षेत्र के प्रति इस उदारीकरण (liberalisation) का बोध इन अनेक बातों से होता है। एक तो चन्द उद्योगों को छोड़कर, अन्य सभी उद्योगों के सम्बन्ध में लाइसेन्स व्यवस्था उठा ली गई है। ये उद्योग अब सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करने के झंझटों में पड़े बिना ही लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में नए उद्यमियों का प्रवेश आसान बन गया है। दूसरे, अनेक उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन–क्षमता पर लगाई जाने वाली अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है। पुरानी नीति के अन्तर्गत लाइसेन्स देते समय सरकार की ओर से क्षमता–सृजन की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाती थी जिसके ऊपर औद्योगिक इकाई अपना विस्तार नहीं कर सकती थी। अब इस सीमाबन्दी को हटा दिया गया है जिससे कि बड़े पैमाने के उत्पादन के विभिन्न लाभ प्राप्त किए जा सकें। तीसरे, उत्पादकों को उत्पाद–चयन के सम्बन्ध में भी छूट मिल गई है। पहले लाइसेंस में जिन वस्तुओं का उल्लेख होता था, केवल उन्हीं तक उत्पादन को सीमित रखना जरूरी था। अब ऐसी बात नहीं है। नयी नीति के अन्तर्गत बाजार में मांग के आधार पर उत्पाद के विषय में निर्णय लिए जा सकते हैं। चौथे, एकाधिकार अधिनियम लागू होने के लिए बड़ी औद्योगिक इकाइयों

मुख्य बिन्दु–

उदारीकरण

औद्योगिक नीति

सिलसिले,

उत्पादन–क्षमता,

औद्योगिक,

एकाधिकार,

उत्पादन

की परिसम्पत्ति पर जो 100 करोड़ रुपये को सीमा निर्धारित की गई थी, उसे अब हटा लिया गया है। इस प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी इस अधिनियम के दायरे से बाहर हो गई हैं। ये बिना पूर्व स्वीकृ ति के विस्तार कर सकती हैं और नयी परियोजनाएं चालू कर सकती हैं। लघु क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में भी निवेश–सीमा बढ़ा दी गई है, ताकि वे भी उत्पादन–तकनीक आदि में आवश्यक सुधार लाकर आधुनिक रूप धारण कर सकें।

शोध प्रपत्र

15 अगस्त, 1947 को देश के स्वतंत्र होने पर उदारीकरण औद्योगिक क्षेत्र में विशाल परिवर्तन आरंभ हुआ। अब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मनचाहा रूप देने में पूर्ण स्वतंत्र था। स्वदेशी उद्यम को अब विदेशी हितों के आधीन कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उदारीकरण औद्योगिक वातावरण को साफ करने के लिए 6 अप्रैल, 1948 को राष्ट्रीय सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम करने का सुझाव दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आगामी कुछ वर्षों में राज्य विद्यमान उत्पादन इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर अपने कार्यक्षेत्रों में नई उत्पादन इकाइयां (Production units) स्थापित करेगा। इस प्रकार उदारीकरण औद्योगिक नीति के अनुसार निजी क्षेत्र (Private sector) तथा सरकारी क्षेत्र (Government sector) साथ–साथ कार्य करेंगे।

उल्लेखनीय बात यह है कि निजी क्षेत्र को देश की सामान्य उदारीकरण औद्योगिक नीति के आधीन कार्य करना होगा। संक्षेप में, औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने धुंधले वातावरण को स्पष्ट करके निवेश (देशी और विदेशी दोनों) की प्रक्रिया में सहायता दी और उदारीकरण औद्योगिक विवाद भी कम किया। **कुछ भी हो, 1948 की औद्योगिक नीति की मुख्य सफलता इस बात में है कि इसके आधीन मिश्रित एवं नियंत्रत अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई जिसमें निजी व सरकारी उद्यम मिलकर कार्य कर सकें ताकि औद्योगिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ सके।**[प]

1948 के प्रस्ताव के स्थान पर संसद् ने 30 अप्रैल, 1956 को दूसरा उदारीकरण औद्योगिक नीति प्रस्ताव स्वीकार किया। इन आठ

वर्षों में राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन आ गया था और विकास कार्य भी आगे गया था। (So cialist Pattern of Society) को सामाजिक और आर्थिक नीतियों के रूप में स्वीकार कर चुकी इसके औद्योगिक आधार के लिए 1956 का प्रस्ताव पास किया गया जिसकी मुख्यधाराएं निम्नलिखित है

कर वर्गीकरण में को तीन वर्ग में किया गया जो पहले के वर्गीकरण से मिलते थे किन्तु वर्ग अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए। राज्य ने किसी भी प्रकार के उदारीकरण औद्योगिक उत्पादन को अपने हाथ में लेने के सहन अधिकार को अपने लिए सुरक्षित रखा उद्य तीन वर्ग निम्नलिखित है।

पूर्णात्य राज्य पर हो। प्रथम वर्ग में 17 का उल्लेख किया गया जो कि प्रस्ताव को अनुसूची में दिए गए। ये मे और सैन्य सामग्री परमाणु शक्ति लौह और इस्पात भाईभारी होने भारी बिजली सामान उद्योग भारतात सीस्थ और जस्ता आदि अन्य महत्त्वपूर्ण खनिज विमान परिवहन परिवाहन टेलीफोन कर और रेडियो उपकरण विद्युतका (Generation) और 1956 के नीति प्रस्ताव में इस वर्ग का बहुत अधिक विस्तार किया गया।

राज्य का अधिकार बढ़ता जाएगा और जनसाधारणतः राज्य र उद्यम (Enterprisè) की स्थापना करेगा किन्तु निजी क्षेत्र में यह आशा को आगी कि वह उनके चलने में राज्य की सहायता द्वितीय वर्गो की ख अनुसूची में दिया गया के अन्तर्गत 12 उद्योगों को शामिल किया गया। अन्य खनिज एल्यूमीनियम और अन्य धातुए (Noe Ferrous metals) जिन्हें प्रथम वर्ग में नहीं रखा गया, मशीनी औजार सौमित्र और जारी इस्पात (Tools stechs) रसायन उद्योग एण्टिवाइटिस (Antibiotiċ) और अन्य आवश्यक औषधियां उर्वरक मस्तिष्ट मद (Syntheticber) कोयले का कार्बनीकरण (Carbonisation); रासायनिक गुदा, सड़क परिवहन और समुद्री पि (ग) शेष सभी और उनके विकास को सामान्यतः निजी क्षेत्र के अधीन छोड़ दिया गया।

अन्तिम वर्ग को भी राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति के हाथ के अनुकूल कार्य करने और औद्योगिक विकास तथा विनियमन)

अधिनियम तथा अन्य सम्बद्ध विधान के नियंत्रण में रखने की धनी दी गई।[pp]

औद्योगिक वर्ग पृथक खण्ड नहीं है– 1956 की नीति को प्रस्तावित करते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया कि विभिन्न वर्ग पृथक् खण्ड नहीं है बल्कि एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के आधीन भारी उद्योग अपने हल्के संघटकों (स्पहीज बवउ चवदमदजे) के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर हो सकता है। जब कि निजी क्षेत्र अपनी बहुत–सी आवश्यकताएं सरकारी क्षेत्र से पूरी कर सकता है। फिर जब ऐसा करना आवश्यक हो, तब राज्य पूंजी में प्रमुख भागीदार बनकर अथवा अन्य उपाय से यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास उदारीकरण औद्योगिक इकाइयों की नीति का मार्गदर्शन करने और उनका संचालन करने के लिए आवश्यक अधिकार उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राज्य साधारणतया निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित ग वर्ग में कभी भी योजना की दृष्टि से या अन्य महत्त्वपूर्ण कारणों से यह आवश्यक हो, प्रवेश कर सकता है। यद्यपि 1948 की नीति की अपेक्षा अब सरकारी क्षेत्र कहीं अधिक वरिष्ठ भागीदार (Senior partner) माना गया, तथापि सरकारी और निजी क्षेत्रों से मिलकर काम करने की आशा की गई। इसका मूल उद्देश्य भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम करना था।

निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण और भेदभाव रहित व्यवहार–निजी क्षेत्र को आश्वस्त करने और इसे कुशल ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक समझा गया कि राज्य पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार परिवहन, बिजली और अन्य सेवाओं तथा राजकोषीय एवं अन्य उपायों द्वारा उद्योगों के विकास की सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करे। राज्य इन उद्योगों को वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं का विकास करे और औद्योगिक तथा कृषि क्रियाओं के लिए सरकारी उद्यमों (Public undertakings) को विशेष सहायता प्रदान करे। **दूसरी ओर, निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति के अनुरूप कार्य करने का परामर्श दिया गया। यदि किसी उद्योग में निजी और सरकारी दोनों प्रकार की इकाइयां विद्यमान हों, राज्य की नीति दोनों के साथ न्यायपूर्ण और भेदभाव रहित व्यवहार रखने की होगी।**[iii]

ग्रामीण और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन राज्य बड़े पैमाने के उत्पादन का परिमाण सीमित करके, विभेदक– कर (Differential taues) लगाकर या प्रत्यक्ष साहाय्य (Direct subsidies) प्रदान करके कुटीर और लघु उद्योगों को निरन्तर सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (Decentralised Sector) आत्मनिर्भर होने के योग्य बन सके उसका विकास बड़े पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित हो।

प्रादेशिक विषमताएं (Regional disparilies) दूर करने की आवश्यकता प्रस्तावना में इस विचार का पूर्ण समर्थन किया गया कि प्रत्येक प्रदेश में औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों का सन्तुलित एवं समन्वित विकास (Balanced and co-ordinated development) करके सम्पूर्ण देश को उच्च जीवन–स्तर उपलब्ध कराया जा सकता है।[पअ]

विदेशी पूंजी के प्रति दृष्टिकोण–सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण की गति बढ़ाने एवं बेहतर उदारीकरण औद्योगिक तकनीक तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी और उद्यम की सहायता प्राप्त करनी आवश्यक समझी। परन्तु विदेशी पूंजी के भाग लेने पर भारतीय हितों की दृष्टि से सावधानीपूर्वक नियमन रखना चाहिए। प्रस्ताव में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया, साधारणतया स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण के क्षेत्र में प्रमुख अधिकार भारतीय हाथों में ही रहना चाहिए। पर सभी हालतों में इस बात पर बल दिया जाएगा कि उपयुक्त भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि अन्ततः वे विदेशी कर्मचारियों का स्थान ले सकें। इस प्रकार उदारीकरण अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता स्वीकार करते हुए सरकार ने विदेशी फर्मों के अधिकाधिक भारतीयकरण पर बल दिया है।

संदर्भसूची

- सुन्दरम एवं दत्त, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली, संस्करण 2016, पृ. 165
- सुन्दरम एवं दत्त, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली, संस्करण 2016, पृ. 166
- सुन्दरम एवं दत्त, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली, संस्करण 2016, पृ. 167
- सुन्दरम एवं दत्त, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली, संस्करण 2016, पृ. 168

Contributors Details:

डॉ. केशव देव सुनेरिया

(सहायक प्राध्यापक) अर्थशास्त्र विभाग

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय